न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/108/2024 रजू दिनांकः 22.08.2024 रजि0 न0 2023/196

<u>अपीलार्थीः–</u>

श्री कुलदीप वर्मा, निवासी डी–528, बुध विहार, अलवर राज0 –301001

<u>प्रत्यर्थीः–</u>

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर), जिला अलवर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– 14.10.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 03.06.2024 प्रस्तुत कर पत्र में वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 02.09.2024 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी उपस्थित नहीं आये। प्रत्यर्थी से जवाब जरिये डाक प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को प्रथम ऑनलाईन आवेदन संख्या 293245016067201 दिनांक 03.06.2024 के द्वारा चाही गई सूचना के कम में कार्यालय के पत्रांक आ.टी.आई/2024/2854–56 के माध्यम से विनिश्चय किया जाकर अवगत कराया है, कि वांछित जांच कार्यवाही अभी विचाराधीन/लम्बित है। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1) एच के अलोक में किसी प्रकार की सूचना देय नही है। आवेदन खारिज कर निस्तारित किया जाता है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा पत्रांक 2854–56 दिनांक 07.10.2024 के माध्यम से अपीलार्थी द्वारा वांछित जांच कार्यवाही अभी विचाराधीन/लम्बित होना एवं आर.टी.आई. एक्ट 2005 की धारा 8(1) (एच) के अलोक में किसी प्रकार की सूचना देय नही होना अवगत कराया है, जो नियमों के आलोक में उचित प्रतीत होता है। अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है।
6. अतः उक्त आलोक में अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को <u>भिजवाई जावें।</u>
7. <u>निर्णय आज दिनांक 14.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।</u>
8. <u>पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</u>

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)